

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक
 आज्ञा या
 कार्यवाही
 01/3/24

यूको बैंक शाखा कोटपूतली जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश कुमार द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी की सम्पत्ति का भौतिक कब्जा जरिए पुलिस सहायता अप्रार्थीगण से प्रार्थी को दिलाये जाने आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली वास्ते सुनवाई आईन्दा दिनांक 11/3/24 को पेश हो।

↓
 जिला कलक्टर
 कोटपूतली-बहरोड

11.3.24

पत्रावली साज पेश हुई वकील जयवी रजनीश/19
 श्री लखी व सुनवाई हेतु पत्रावली 22/3/24 को पेश हो।

↓
 जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर)
 कोटपूतली-बहरोड (राज.)

22.3.24

पत्रावली साज पेश हुई वकील रजनीश/19
 उपाजिल-ही से वकील जयवी के द्वारा 6 नवंबर
 उदान किया जाकर पत्रावली दिनांक 13/5/24 को
 पेश हो।

↓
 जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर)
 कोटपूतली-बहरोड (राज.)

13/5/24

पत्रावली साज पेश हुई वकील जयवी उपाजिल-ही से
 वकील जयवी के द्वारा 6 नवंबर का नका उदान किसे जाने के
 उपबन्धनी धारा 13(2) के तहत जारी नोडिफिकेशन की
 अति व रजिस्ट्रार वकील पेश-ही की। माल जयवी का अर्थका
 पत्र के अलावा पूर्ण दस्तावेज पेश ही कले से जयवी का
 पत्रावली उदान किसे अर्थका एक्ट की धारा 14 के
 अन्तर्गत किया जाता है पत्रावली के तहत हुमाव हेतु 5/1/24
 दफतर ही।

↓
 जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर)
 कोटपूतली-बहरोड (राज.)